राजभाषा अनुभाग
भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान
इज्जतनगर (उ0प्र0).243122

पत्रांक: 8–2 / 2016–हिन्दी

दिनांक: 30 जनवरी, 2017

परिपत्र

संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 03 दिसम्बर, 2016 को सम्पन्न हुई त्रैमासिक बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुसार निम्नांकित बिन्दुओं / मदों पर सभी विभागों / अनुभागों को अनुवर्ती कार्रवाई करना आवश्यक है:–

मद संख्या 1 धारा 3(3) का अनुपालन

बैठक के निर्णयानुसार इस धारा के तहत जारी होने वाले कागजात जैसे– परिपत्र, ज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, कार्यालय–आदेश, लाइसेंस, टेंडर, नोटिस आदि हिन्दी या द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाएं। धारा के अधीन जारी कागजातों का हिन्दी रूपान्तर राजभाषा अनुभाग से कराया जा सकता है।

मद संख्या 2 विभिन्न बैठकों में वार्तालाप एवं बैठक के कार्यवृत्त हिन्दी या द्विभाषी रूप में जारी करना

विभागों / अनुभागों की विभिन्न शीर्षस्थ बैठकों में सभी तरह का वार्तालाप हिन्दी में ही किया जाए और बैठकों के कार्यवृत्त मूलरूप से हिन्दी में ही तैयार किये जाएं। जहाँ बहुत ही आवश्यक हो वहां कार्यवृत्त द्विभाषी रूप में जारी किये जा सकते हैं।

(32)

मद संख्या 3 हिन्दी में कार्य करने के लिए विभागीय / अनुभागीय स्तर पर परिपत्र जारी करना

समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि संयुक्त निदेशक (प्रसार–शिक्षा) की भाँति सभी विभागाध्यक्ष / अनुभाग अधिकारी अपने विभाग / अनुभाग में परिपत्र जारी करके अपने अधीनस्थ कार्मिकों को निर्देश देंगे कि विभाग / अनुभाग का सरकारी कार्य जैसे– टिप्पण–आलेखन, दैनिक कार्य, लेखा–जोखा संबंधी कार्य, आन्तरिक पत्राचार, सामान्य–आदेश, परिपत्र, ज्ञापन, सूचना, प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां इत्यादि का कार्य हिन्दी में ही करें। ऐसे परिपत्र से विभाग / अनुभाग के अधिकारी / कर्मचारी हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे।

मद संख्या 4 संस्थान के कम्प्यूटरों में हिन्दी के फॉन्ट लोड कराने के संबंध में

बैठक के निर्णयानुसार जिन विभागों / अनुभागों के कम्प्यूटरों में हिन्दी के फॉन्ट नहीं हैं उनकी सूची विभागाध्यक्ष / अनुभाग अधिकारी, राजभाषा अनुभाग को प्रेषित करेंगे। विभागाध्यक्ष / अनुभाग अधिकारी अपने स्तर से भी कम्प्यूटरों में हिन्दी के फॉन्ट लोड करा सकते हैं।

मद संख्या 5 विभिन्न कार्यक्रमों के निमंत्रण–पत्र, प्रमाण पत्र एवं बैनर हिन्दी या द्विभाषी रूप में मुद्रित कराने के संबंध में

समिति की बैठक में निदेशक महोदय की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, कार्यक्रमों आदि के निमंत्रण पत्र , प्रमाण पत्र एवं बैनर हिन्दी में ही मुद्रित कराये जायेंगे। यदि बहुत ही आवश्यक हुआ तो इन्हें द्विभाषी रूप में मुद्रित कराया जा सकता है लेकिन मात्र अंग्रेजी में मुद्रित कराना राजभाषा नियमों को उल्लंघन है। इस मामले में संचार केन्द्र

भी विशेष ध्यान रखेगा और मुद्रण के लिए आने वाली सामग्री की निगरानी रखकर यह सुनिश्चित करेगा कि मुद्रण के लिए प्रेषित सामग्री हिन्दी या द्विभाषी रूप में मुद्रित हो रही है अथवा नही।

मद संख्या 6 संस्थान के कार्य में हिन्दी में मुद्रित फार्मों का प्रयोग

समिति की बैठक में सभी समिति सदस्यों को अवगत कराया गया कि संस्थान की वेबसाईट पर सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाले सभी फार्म हिन्दी एवं अग्रेजी में अलग–अलग रूप में अपलोड हैं। अतः अधिकारी/कर्मचारी इन फार्मों को डाउनलोड कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में निदेशक महोदय का आग्रह है कि सिर्फ हिन्दी के फार्मों को ही डाउनलोड कर प्रयोग में लाया जाए ताकि हिन्दी की प्रगति एवं प्रयोग को बढ़ावा मिल सके।

अतः सभी संयुक्त निदेशक, वित्त नियन्त्रक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष, अनुभाग अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह है कि हिन्दी समिति की बैठक में ऊपर दर्शाये गये निर्णयों के अनुसार कृपया अपने स्तर से उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। साथ ही की गई कार्रवाई से से राजभाषा अनुभाग को भरी अवगत करायें ताकि समिति की अगली बैठक में अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में निदेशक एवं समिति सदस्यों कराया जा सके।

सुजाता जेठी

(सुजाता जेठी)
प्रभारी, राजभाषा अनुभाग

वितरणः–

1. निदेशक , भा0प0चि0अ0सं0, इज्जतनगर।
2. सभी संयुक्त निदेशक/विभागाध्यक्ष/अनुभाग अधिकारी/प्रभारी अधिकारी/वित्त नियंत्रक /मु0प्र0अ0/रजिस्ट्रार/संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/प्रशासनिक अधिकारी तथा वित्त एवं लेखाधिकारी, भा0प0चि0अ0सं0, इज्जतनगर।
3. प्रभारी, कम्प्यूटर सेंटर (एरिप सेल) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इसको संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।